

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030, ई-मेल-logisticoffice4@gmail.com)

संख्या: ला०जि०-एमटी-84/2020
सेवा में,

दिनांक: सितम्बर 07, 2020

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश पुलिस ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, /पुलिस आयुक्त लखनऊ /गौतमबुद्धनगर।

विषय : मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 2019 (दि० 01.07.2019 से 30.06.2020 तक)
की कुल 32 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने विषयक ।

कृपया अवगत कराना है कि मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के भर्ती/चयन वर्ष 2019 (दि० 01.07.2019 से 30.06.2020 तक) की कुल 32 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही किये जाने हेतु आरक्षी चालको और मुख्य आरक्षी चालको के आवेदन पत्र एवं संगत नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय परीक्षा हेतु अर्ह कर्मियों की सूची तथा आवेदन-पत्र उपलब्ध कराया जाना है ।

2- मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम-5(ग) व 10 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

नियम-5 (ग)

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा एसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालको में से भरी जायेंगी जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों:-

(एक) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों ।

(दो) वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों ।

(तीन) विगत 05 वर्षों की अवधि में:-

(क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो या

(ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या

(ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।

(चार) विगत 03 वर्षों के अवधि में

(क) कोई लघु दण्ड न मिला हो या

(ख) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिलें हो या

(ग) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।

नियम-10

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालको एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों। कट-आफ-डेट 01.07.2019 होगी।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको को उपरोक्तानुसार सूचित कराते हुए संगत नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार अर्ह मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रारूप में सूचना (साफ्टकापी/हार्ड कापी में) दिनांक 25.09.2020 तक जोनल कार्यालय/मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय में प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी अर्ह मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक के नाम छूटने न पायें, ताकि न्यायालीय विवाद से बचा जा सके, यदि कोई मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक आपके जनपद/इकाई/वाहिनी से अन्यत्र सम्बद्ध/प्रतिनियुक्ति पर गये हो, तो सम्बन्धित जनपद/इकाई/वाहिनी के प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी वह उस कर्मी को प्रत्येक दशा में सूचित करें। कृपया उक्त निर्देश का व्यापक प्रचार प्रसार कराये, ताकि सभी मुख्य आरक्षी चालको/आरक्षी चालको को इस सम्बन्ध में जानकारी हो सके और कोई भी पात्र कर्मी उक्त परीक्षा से वंचित न हो सके। उक्त सूचना के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि प्रेषित की जा रही सूचना में किसी भी पात्र कर्मी का नाम छूटा नहीं है तथा प्रेषित की जा रही सूचना त्रुटिरहित है।

4- जनपदों/इकाईयो एवं वाहिनियो द्वारा उक्त सूचना सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। जनपदों द्वारा सूचना अपने जोन कार्यालय को तथा जोन कार्यालय द्वारा सूचना जोन स्तर पर संकलित कर उसका मिलान करने के उपरान्त इस कार्यालय में साफ्ट/हार्ड कापी सहित उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पीएसी वाहिनियो द्वारा सूचना पीएसी मुख्यालय एवं इकाईयो एवं अनुभागों द्वारा अपनी सूचना अपने मुख्यालय के माध्यम से इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदन-पत्र के सभी कालमों को भरा जाना आवश्यक है।

5- आवेदन पत्र का प्रारूप, सूचना प्रेषित किये जाने का प्रारूप आपके ई-मेल एवं इस कार्यालय के बेवसाईट [up police-police units-Logistics-circuler](#) पर प्रकाशित किया जा रहा है, जहाँ से डाउनलोड कर उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक "स्थापना", मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ०प्र० पुलिस भर्ती/प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा)

1- अभ्यर्थी का नाम		04X05 से0मी0 आकार का नवीनतम फोटो चिपकाकर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाय
2- पिता का नाम		
3- पदनाम		
4- पीएनओ नम्बर		
5- नियुक्ति का स्थान		
6- जन्म तिथि		
7- भर्ती की तिथि		
8- आरक्षी चालक/मुख्य आरक्षी चालक के पद पर नियुक्ति तिथि		
9- आरक्षी चालक के पद पर कुल सेवा अविधि दि० 01.07.19 को	वर्ष	माह दिन
10- वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल /असफल		
11- मोबाईल नं०		
	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	

12- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक द्वारा भरी गयी सूचनाओं का परीक्षण अभ्यर्थी के सेवाअभिलेखों के आधार पर कर लिया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ (उ०प्र० पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा-नियमावली, 2015 के नियम-5(ग) में मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप हैं। उक्त मुख्य आरक्षी चालक/आरक्षी चालक संगत सेवा नियमावली में निर्धारित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण करता है। अतः आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित है। आवेदक भर्ती/चयन वर्ष 2019 की रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन हेतु विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र है।

दिनांक:

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर नाम
पदनाम की मुहर सहित

Date for Promotion to the post of Head Constable Moter Transport

Sr. No	Zone Name	Name Of the Conditate	Father's Name	Designation	PNO	Place of Posting	Date of Birth	Date of Enlistment	Date of Recruitment / Promotion as Const. Driver	Total Service as Const. Driver on 01-07-2019				Passed/Failed in Annual Health Insection	Mobile No.
										Cut of date	Year	Mont	day		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										01-07-19					

सी०आर०के० के
हस्ताक्षर व मुहर

प्रधान लिपिक के
हस्ताक्षर व मुहर

सी०ओ० आफिस के
हस्ताक्षर व मुहर

कार्यालय अधीक्षक के
हस्ताक्षर व मुहर